अनुदान संख्या 87 – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
GRANT No. 87–MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1769,20,00		1869,21,00	1841,26,86	–27,94,14
पूरक	Supplementary	100,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					25,03,39
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			25,13,00	3,69,50	–21,43,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					19,54,17

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (2794.14 लाख रु.) दिसम्बर, 2003 और फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 10001.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 28 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2794.14 lakhs) constituted 28 percent of the supplementary grants of Rs.10001.00 lakhs obtained in December, 2003 and February, 2004 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	400.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–400.00			
मुख्य शीर्ष "2553" संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	Major Head "2553" MP's Local Area Development Scheme				
मू.	O.	158000.00			
पू.	S.	10000.00	168200.00	168200.00	. .
पु.	R.	200.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3454'' जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics				
मू.	O.	17649.00	15192.42	14948.09	–244.33
पु.	R.	–2456.58			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
पू.	S.	1.00	198.10	194.47	–3.63
पु.	R.	197.10			

(I) 825.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' के अंतर्गत 400.00 लाख रु. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को कार्यात्मक शीर्षों से पूरा किए जाने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए व्यपगत न होने वाले पूल को अंतरित किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "3454'' - "सर्वेक्षण और सांख्यिकी - केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन - भारत में सांख्यिकी प्रणाली का आधुनिकीकरण'' के अंतर्गत 425.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे क्योंकि यह स्कीम विश्व बैंक के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुन: सूत्रबद्ध की गई थी।

(II) मुख्य शीर्ष "3454'' - "सर्वेक्षण और सांख्यिकी'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Provision of Rs.825.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under the following major heads:-

(A) Under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim" - Rs.400.00 lakhs - due to utilisation of funds by re-appropriation to meet expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region including Sikkim from the functional heads and also transfer to non-lapsable pool for North Eastern Region and Sikkim.

(B) Under Major Head "3454" - "Surveys and Statistics - Central Statistical Organisation - Modernisation of Statistical System in India" - Rs.425.00 lakhs - due to non-finalisation of the scheme as the same was reformulated on the basis of recommendations of National Statistical Commission with World Bank.

(II) Under Major Head "3454" - "Surveys and Statistics" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन - अधीनस्थ कार्यालय''- 344.95 लाख रु. की बचत (8292.65 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्यालय को किराए के आवास से अपने भवन में स्थानांतरित किए जाने, आतिथ्य-सत्कार और अधिवक्ताओं के शुल्क पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(खा) ''भारतीय सांख्यिकी संस्थान - भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान''- 767.86 लाख रु. की बचत (5562.55 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू वर्ष में समायोजित किए गए पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों के कारण हुई।

(गा) ''केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन''-

(क) ''सम्बद्ध कार्यालय''- 101.90 लाख रु. की बचत (1004.91 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के लागू न किए जाने/मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(ख) ''संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण''- 339.71 लाख रु. की बचत (478.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जांच समिति द्वारा आवेदन रद्द किए जाने और संघटक छोड़ दिए जाने के कारण हुई।

(ग) ''सामाजिक पर्यावरण और मूल्य सांख्यिकी का विकास''- 397.22 लाख रु. की बचत (451.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) ''अन्य व्यय - कार्यक्रम कार्यान्वयन''- 175.30 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विभिन्न स्तरों पर पदों का सृजन न किए जाने और परियोजनाओं का कार्यान्वयन न होने/मूर्तरूप न लेने के कारण हुईं।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 57.05 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (197.10 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के

(A) "National Sample Survey Organisation - Subordinate Office" - saving of Rs.344.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8292.65 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, shifting of office from a rented accommodation to own building, less expenditure on hospitality and fees of advocates.

(B) "Indian Statistical Institute - Grants-in-aid to ISI, Kolkata" - saving of Rs.767.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5562.55 lakhs) was due to unspent balances of previous years adjusted in the current year.

(C) "Central Statistical Organisation" -

(a) "Attached Office" - saving of Rs.101.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1004.91 lakhs) was due to non-implementation / materialisation of proposals.

(b) "Institutional Development and Capacity Building" - saving of Rs.339.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.478.00 lakhs) was due to rejection of applications by Screening Committee and dropping of component.

(c) "Development of Social, Environment and Price Statistics" - saving of Rs.397.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.451.10 lakhs); and

(D) "Other Expenditure - Programme Implementation" - saving of Rs.175.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-creation of posts at various levels and non-implementation/materialisation of projects.

(III) Under one head saving of Rs.57.05 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.197.10 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament

लिए अनुदान - सर्वेक्षण और सांख्यिकी - आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी - सांख्यिकी - पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय एनएसएस प्रतिदर्श कार्य के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सहायता अनुदान'' के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 193.47 लाख रु. था।

while obtaining supplementary grant under Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes - Surveys and Statistics - Economic Advice and Statistics - Statistics - Grants-in-aid to the States for carrying out Central NSS Sample Work in the North Eastern Region". Actual excess, however, was Rs.193.47 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2553'' - "जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/स्थानीय निकायों को सहायता - अनुदान सहायता'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (10000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 168000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों की देयताओं को अग्रेनीत किए जाने के कारण हुआ।

(II) The savings were also offset by excess under Major Head "2553" - "Assistance to District Rural Development Agencies/Local Bodies - Grant Assistance" - excess of Rs.200.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.168000.00 lakhs including supplementary grant of Rs.10000.00 lakhs) was due to carry forward of liability of previous years.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	288.00	. .	. .	. .
पु.	R.	– 288.00			
मुख्य शीर्ष "5475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	2225.00	558.83	369.50	–189.33
पु.	R.	–1666.17			

(I) 433.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 408.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.433.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.408.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552'' - "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान''- 288.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ

(A) Major Head "4552" - "Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim" - Rs.288.00 lakhs - due to utilisation of funds by

से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने और साथ ही सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यपगत न होने वाले पूल को अंतरित किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''5475'' - ''सांख्यिकी - कार्यक्रम/परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन, निगरानी रखने के संबंध में संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अवसंरचना का निष्पादन प्रबंधन (2002-07)''- 120.00 लाख रु. विभिन्न मंत्रालयों से अनुमोदन प्राप्त न होने/विलंब से प्राप्त होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''5475'' - ''सांख्यिकी'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण''- 1101.15 लाख रु. की बचत (1159.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''एनएसएसओ की फील्ड सर्वेक्षण क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण''- 183.26 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) ''एनएसएसओ की आंकड़ा संसाधन क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण''- 160.54 लाख रु. की बचत (203.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) ''आंकड़ा संसाधन, भंडारण का सुदृढ़ीकरण और कम्प्यूटर केन्द्र का प्रसार''- 189.26 लाख रु. की बचत (190.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुईं।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 58.44 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 58 प्रतिशत थी।

re-appropriation to meet the expenditure on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region from the concerned functional heads and also transfer to non-lapsable pool for North Eastern Region including Sikkim.

(B) Major Head "5475" - "Statistics - Institutional Development and Capacity Building in Programme/Project Planning, Implementation, Monitoring and Performance Management of Infrastructure in Public and Private Sector (2002-07)" - Rs.120.00 lakhs - due to non-receipt/ delay in getting approval from various Ministries.

(II) Under Major Head "5475" - "Statistics" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Institutional Development and Capacity Building" - saving of Rs.1101.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1159.50 lakhs;

(B) "Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO" - saving of Rs.183.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs);

(C) "Strengthening of Data Processing Capabilities of NSSO" - saving of Rs.160.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.203.00 lakhs); and

(D) "Strengthening of Data Processing, Storage and Dissemination of Computer Centre" - saving of Rs.189.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.190.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-materialisation of proposals.

(III) Under one head saving of Rs.58.44 lakhs occurred constituting 58 percent of the sanctioned provision.